राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2646/2006/जैसलमेर

1. चंदन सिंह
2. मूलसिंह
3. सुजानसिंह
4. रेवन्तसिंह
5. गेमरसिंह
6. शिवदानसिंह

पिसरान स्व. राणसिंह राजपुत निवासी कपुरिया तहसिल फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

....अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जैसलमेर
2. तहसीलदार फतेहगढ़ जिला जैसलमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एन.एल पोखरना, अधिवक्ता अपीलाण्टस की ओर से
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता सरकार की ओर से

निर्णय **दिनांकः 15.04.2019**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्कारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील संख्या 1/2005 में दिनांक 20.02.2006 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्टस/वादीगण ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के न्यायालय में एक वाद राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया था कि उनके पिता की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि खसरा नं 26 रकबा 115 बीघा आई हुई थी। समरी अंदाजिया होती थी जबकि वादीगण के पिता व दादा का कब्जा काश्त मौका पर इससे भी अधिक भूमि पर था। भूमि खसरा नं 27 हाल खसरा नं 472 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं 504 रकबा 36 बीघा ग्राम कपूरिया पर वादीगण के दादा व पिता का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पहले से ही निरन्तर व बेरोकटोक चला आ रहा है किन्तु इसका अमल दरामद नहीं होने से उन्हे अतिक्रमी मान रखा है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया है कि भूमि खसरा नं 472 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं 504 रकबा 36 बीघा ग्राम कपूरिया का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टस ने जवाबदावा पेश कर वादीगण को उक्त आराजियात पर बतौर अतिक्रमी होना अभिकथित करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने कुल 3 तनकीयात कायम की थी। दोनो पक्षो की साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.06.2001 के निर्णय के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया था। इसके विरूद्ध वादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की थी, जिसे यह कहते हुए विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया कि विवादित खसरा नं का समरी खसरा नं क्या रहा है, यह सिद्ध करने का भार वादी पर ही होता है क्योंकि उसे अपना वाद स्वंय ही साबित करना है किन्तु जिला जैसलमेर में राजस्व रिकार्ड सुव्यवस्थित रूप से संधारित नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय न्याय हित में अपने स्तर पर जिला अभिलेखागार से मूल रिकार्ड तलब कर यह पता लगाये कि इन खसरा नम्बरान की भूमि के खसरा नं 27 है या नहीं एवं तदानुसार मूल प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करे। यदि इन समरी खसरान के नवीन नम्बरान क्या थे यह अभिलेख से स्पष्ट नहीं हो पाये या इस सम्बन्ध में अन्य कोई संशय की परिस्थितियां हो तो उनका लाभ वादीगण को दिया जाए। विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये रिमाण्ड वाद प्राप्त होने पर वादीगण ने भू-प्रबंधन विभाग द्वारा जारी इस्तजाफ इंद्राज खसरा पेश किया, जिसके कालॅम नं 7 में यह उल्लेख है कि कमपेरिटिव रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 11 पर राणजी राजपूत के खाते में 115 बीघा भूमि बतौर खातेदारी की दर्ज है मगर प्रार्थी ने परचा 42.15 बीघा का दिया है जबकि राणजी राजपूत के पास कब्जा काश्त में 115 बीघा भूमि मौजूद है। इसलिए प्रार्थी के खसरा नं 472 रकबा 20.12 बीघा मालिक कब्जा काश्त में और देने का आदेश फरमानें का अंकन है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में एक और गवाह का ध्यान भी लेखबद्ध कराया था। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर वादीगण का वाद निम्न प्रकार से आंशिक रूप से डिक्री किया था।:-

> **"अतः खसरा नं 472 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके मौजा कपूरिया का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।**
>
> **यहां पर उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि वादीगण पुराने खसरा नं 115 में से शेष भूमि की खातेदारी 15 बीघा 8 बिस्वा की इस्तदुआ स्वीकार की जाती है इसलिए सम्भव नहीं है कि आया इस भूमि हेतु मूल खसरा टूटने से कौन से नए खसरे का निमार्ण हुआ है यह अभी भी जांच के परीपक्ष्य में लम्बित है। अतः रेकर्ड से जैसा कि आर0 ए0 ए0 ने अपने निर्णय में निर्देश दिये है भंली भांती इस तथ्य को पुष्ट किया जावे कि पुराने खसरे के बदले कौन सा खसरा 15 बीघा 8 बिस्वा का बना है। यह जांचाधीन है। शेष खसरा नं 472 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा की भूमि मौजा वाके तदननुरूपा डिगरी पर्चा जारी हो।"**

3- उक्त निर्णय व डिक्री से खुद को व्यथित महसूस करते हुए वादीगण ने अपील संख्या 1/05 व राज्य सरकार ने अपील संख्या 3/05 राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर-जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष पेश की थी। दिनांक 20.02. 2006 के आक्षेपित निर्णय के द्वारा वादीगण की अपील संख्या 1/05 खारिज कर दी गई थी तथा राज्य सरकार की अपील संख्या 3/05 स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया गया था। अतः वादीगण ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

4- बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5- विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस की दलील है कि वादीगण/अपीलाण्टस वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है। इसलिए विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद एकदम सही रूप से डिक्री किया था। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह बात समझने में भूल की है कि भूमि खसरा नं 27 रकबा 115 का खातेदार काश्तकार वादीगण/अपीलाण्टस का पिता था तथा विवादित भूमि पुराने खसरा नं 27 का ही भाग है, जिसके वादीगण/अपीलांटस खातेदार है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी समझने में भूल की है कि पुराने खसरा नं 27 से ही नवीन खसरा नं 504 बना है। इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय की यह

फाइंडिग गलत है कि भूमि खसरा नं 504 बंजर होकर सिवाय चक है। अतः निवेदन किया गया है अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जाए तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाए।

6- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उक्त दलीलो का विरोध किया है। उनका कहना है कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है।

7- उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8- वादीगण ने जो अनुतोष चाहा था उसके लिए उन्हें यह साबित करना था कि नवीन खसरा नम्बरान 472 व 504 समरी खसरा नम्बर 27 से बने है किन्तु वादीगण इस तथ्य को साबित नहीं कर पाए। बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह इंगित होता है कि नवीन खसरा इमबा 472 रकबा 20.12 बीघा व नवीन खसरा नं 504 रकबा 53.03 बीघा राजस्व रिकार्ड में बंजड़ के रूप में सिवाय चक दर्ज है। इसके अलावा वादीगण खसरा नं 472 व 504 पर अपना कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से साबित नहीं कर पाए तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2055-56 में भी वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज नहीं हैं। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद अंशतः डिक्री करके वैधानिक भूल की थी तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विशलेषण व मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में करके वादीगण की प्रथम अपील खारिज करने, राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने तथा तद्नुसार वादीगण का वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

9- इसके अलावा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जब वादीगण की अपील खारिज कर दी थी तथा उसी निर्णय के द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टस की अपील स्वीकार कर ली थी, इसका तात्पर्य वादीगण का वाद खारिज करने से था। इन परिस्थितयों में वादीगण को यह चाहिए था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रियों के विरूद्ध दो पृथक पृथक अपीलें पेश करते। मात्र एक अपील पेश करने से राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अन्तिमता को प्राप्त कर चुके है। इस सम्बन्ध में निम्न मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैः-

(1) ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन'

(2) ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1645 'लोनान कुट्टी बनाम थोमन'

(3) माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा आर.एस.ए.नबंर 14/2015 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह' में पारित निर्णय दिनांक 28-1-15

इस प्रकार गुणावगुण के अलावा उपरोक्त परिस्थितियों में केवल एक अपील पेश करने के कारण भी वादीगण/अपीलांट्स को इस द्वितीय अपील में किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः यह अपील काबिले खारिज है।

10- लिहाजा यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष